DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED---------------------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, AUGUST 12, 2022

TIMES CITY

Height Of Fire Service Ladder Was Denying People What Master Plan Had Laid Down

It Dictated High-Rise Definition, Restricted Building Height

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Delhi Master Plan 2021 might allow the maximum permissible height for residential plotted housing with stilt parking to be 17.5 metres but very few have been able to get the benefit of this norm, according to MCD.

Officials pointed out that Delhi Fire Service (DFS) Rules 2010 considers buildings above the height of 15 metres as high-rise, making it mandatory to obtain a fire NOC. That's the reason people can't take the benefit of the norm and prefer to reduce the height of the floors.

"But now with the Supreme Court order exempting buildings with stilts which are up to 17.5 metres tall from the relevant Rule 27 of the DFS Rules (which categorizes any building with a height of more than 15 metres as high-rise), thousands of people in Delhi will be benefited in future," said the official.

To make the change in Rule 27, DFS will require approval from the ministry of home affairs which is its administrative ministry, said an official.

"So far, the DFS norms require leaving a setback of six metres on all four sides mandatorily in a building above the height of 15 metres even if the plot is surrounded by roads or service lanes on two or three sides. This was the main hurdle for residents as the size of plots is mostly small and leaving so much space is impossible," said an MCD official.

In their plea, the fire department had stated that in case of any fire or an untoward incident, the department does not have a ladder measuring 17.5 metres. If a mechanical ladder needs to be placed atop a fire tender, then a space of six metres is required for the vehicle to be parked.

Photo for representation

THE 2.5M THAT MATTERS

- Delhi Master Plan 2021 allows maximum height for residential plotted housing with stilt parking to be 17.5m
- DFS considers buildings above the height of 15m as high-rise and needs to approve with NOC
- The fire department does not have a ladder measuring 17.5 metres
- For NOC, DFS requires a setback of 6m on all four sides for the fire tender to be parked and a ladder placed over it

FIRE DEPT SOURCE SAYS

There is confusion whether it is for residential or commercial buildings. We are yet to see the details

Councillors from different political parties had raised the issue in the past and demanded the Centre's intervention.

"In 2007, the Delhi Master Plan 2021 was announced. It first relaxed the height of the buildings to 15m. It was later amended to 17.5m. But these amendments were not in sync with the DFS Rules 2010," said a former leader of the house and a DDA member, Yogesh Verma. "In April, I raised the matter in the DDA's advisory committee meeting, headed by LG Anil Baijal, for reviewing the draft MPD 2041. The idea was to bring uniformity in the building norms of DDA and DFS before finalisation of the next master plan 2041. We expect that after the apex court's direction, the process will be accelerated and the norms will be changed so that people can avail the benefit of extending the height up to 17.5 metres without an NoC."

Sources in the fire department said they were yet to receive the order. "There is confusion whether it is for residential or commercial buildings. We are yet to see the details. In case of a fire, the only issue is that we don't have a ladder of that height, and if anyone has to be rescued, we will have to chalk out a plan," said the sources.

Petitioner first moved HC in 2014 for easing norms

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Supreme Court on Thursday exempted buildings up to 17.5 metre tall with stilts from Rule 27 of the Delhi Fire Service Rules 2010. Senior advocate Nidhesh Gupta, appearing for Supreme Court Bar Association president Vikas Singh, submitted that Rule 27(2) of the Delhi Fire Service Rules, 2010 was not in consonance with 2013 amendment in Master Plan for Delhi (MPD)-2021, whereby the maximum height for residential buildings with stilt parking has been increased to 17.5 metre from the erstwhile limit of 15 metre.

Singh had first approached the Delhi high court in March 2014 seeking its direction to South Delhi Municipal Corporation (SDMC) to approve the revised plan of construction of his house in Defence Colony. The house had breached the 15 metre height and was around 16 metre. He had contended that as per amended MPD-2021, the definition of High Rise Buildings had been changed to "Buildings taller than 15 metre (without stilt) and 17.5 metre (including stilt) and further providing that in case of stack-parking in stilt floor, minimum height of 2.4 metre for stilt floor may be relaxed.

The HC, however, was not convinced and turned down his plea, and had in January 2016 said "we are of the view that if the petitioner satisfies the SDMC that the construction of his house/building is otherwise in consonance with the sanctioned plans and the petitioner has taken sufficient measures for fire safety and/or takes such further measures to notwithstanding the increased height make his house/building fire safe, the construction does not remain unauthorised. This however would be subject to the condition that the petitioner, in the unlikely event of fire in his house, shall not make any complaint vis-a-vis the remedial/curative measure taken by the DFS(Delhi Fire Services)".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI DATED FRIDAY, AUGUST 12, 2022

LG orders FIR against 11 retired DDA officials

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: LG VK Saxena on Thursday ordered an FIR against 11 former DDA officials in a nine-year-old case of alleged financial misappropriation in upgrade and beautification of Coronation Park in the Capital.

All 11 DDA officers have already retired from the service. The LG, who is also the chairman of the authority, has also asked the DDA to withhold the full pension benefits extended to the accused officers. The retired DDA officers include a chief engineer, a superintendent engineer and an executive engineer and officials from the finance and accounts departments, sources said.

'NORMS VIOLATED'

- FIR ordered in a 9-year-old case of **alleged financial misappropriation in upgrade of Coronation Park** in Capital
- Besides FIR, LG also asks DDA to **withhold the full pension benefits** extended to the accused ex-officers
- All norms violated to benefit contractor in lieu of probable commissions, says a source

▶Related report, P 5

Full pension benefits of all 11 retd officials scrapped

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: LG VK Saxena on Thursday ordered an FIR against 11 former DDA officials in a nine-year-old case. "Considering the grave misconduct and loss to the exchequer, the LG has ordered registration of FIR and permanent withdrawal of full pension benefits of these retired officials, against the department's recommendation of withholding only 25% of their pension," said a source.

According to sources, the DDA had approved the work to upgrade and beautify the Coronation Park at Kingsway Camp in 2013 at the tender cost of Rs 14.24 crore. "But the project cost escalated to Rs 28.36 crore. Also, works amounting to Rs 114.83 crore were carried out at Narela and Dhirpur without any approval under the same tender," said a source, adding that an overall payment of Rs 142.08 crore was made to the contractor. Officials said the additional work should have been done by calling fresh tenders that would have not only saved crores in terms of competitive biddings but also ensured better quality. "It's a case of collusion between the contractor and officials. All laid down norms were violated to benefit the contractor in lieu of probable commissions," the source claimed. Officials said the Comptroller and Auditor General, in its 2016 report, had pointed out an overall deviation of 897.67% (almost 9 times) from the original work.

Sources claimed the execution of the additional work of Rs 114.83 crore was approved by the then chief engineer (North Zone) on the day of his retirement in October 2014 and the then member (engineering) had granted his in-principle approval. "The officials from the accounts and finance department released payments by diverting funds from other heads thus violating the laid procedures," said an official.

"The LG expressed serious displeasure and took a strict note of the manner in which the supervisory officers – member (engineering) and member (finance) — failed in their responsibilities to effectively supervise their subordinate officers," a source said.

"From the foregoing, I am of the considered view that the entire sequence of events amounts to criminal breach of trust and the angle of corruption cannot be ruled out..." the LG said in his order.

"...In addition, a foolproof system should be put in place for effective supervision and internal audit mechanism to ensure that such incidents do not reoccur. A report to be submitted for my perusal within 15 days," the order further read. Sources said when the case file first came to the LG about a month ago, it proposed action against just the engineers concerned. "LG asked for procedures and levels of clearances required to be put on record and names of the officers who all were involved in the execution of this entire project," said an official.

ABOUT THE CASE

ACCUSED: The then member (engineering), the then member (finance) and 9 other officials, all retired now

The Case | Work to upgrade and beautify the Coronation Park at Kingsway Camp in 2013

Tender cost | **₹14.2 crore**

Escalated to **₹28.7 crore**

- Additional work of ₹114.8 crore carried out under same tender and different location without approval
- Approval given by chief engineer (north zone) on his retirement day
- CAG pointed out irregularities in 2016

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— हिन्दुस्तान ——DATE— शुक्रवार 12 अगस्त 2022, नई दिल्ली, नगर संस्करण

भू-उपयोग बदलकर निर्माण की मंजूरी

अदालत से

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। वहीं, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर यहां के पार्कों, जलाशयों के भू उपयोग को बदलकर निर्माण कार्यों की इजाजत दी जा रही है। उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, डीडीए, उप राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल, हेरिटेज, एनवायरमेंट, ट्रेडिशनल एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल अवेयरनेस की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्रमुख बदलाव

- डीयू के उत्तरी परिसर में 5.78 हेक्टेयर में फैले मनोरंजन/जिला पार्क के भू उपयोग में 19 जुलाई 2012 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम के लिए बदलाव किया।
- आईटीपीओ, प्रगति मैदान स्थित 12.19 हेक्टेयर के मनोरंजन पार्क के भू उपयोग में सरकारी दफ्तर बनाने के लिए बदलाव किया गया।

डीडीए के 11 अफसरों पर होगा केस

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नौ वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त समेत 11 अफसरों पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन खारिज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामला नौ साल पुराने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का बताया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा, 2013 में कोरोनेशन पार्क किंग्स्वे कैंप के सौंदर्यीकरण का काम आवंटित किया गया था। इसके लिए निविदा राशि 14.24 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसमें 114.83 करोड़ के

09 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई

06 साल पहले कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ

अतिरिक्त कार्य जोड़े गए। ये अतिरिक्त काम बिना पूर्व अनुमति नरेला-धीरपुर में कराए गए। कार्य के दौरान 14.24 करोड़ की राशि बढ़कर 28.36 करोड़ हो गई। पूरे काम का बजट 142.08 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2016 की कैग रिपोर्ट में इसमें अनियमितता का खुलासा हुआ था।

लेनी चाहिए थी स्वीकृतिः इस पूरे मामले में अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से स्वीकृति ली जानी चाहिए थी और उसके लिए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। ताकि, कम से कम राशि में गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले को काम सौंपा जा सके। इसकी बजाय मनमाने तरीके से अतिरिक्त कार्य कराए गए।

इन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई : नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर थे, जबकि बाकी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे।

बाढ़ क्षेत्र में भूमि को लेकर विभागों के बीच तकरार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। यमुना बाढ़ क्षेत्र में भूमि को लेकर डीडीए और वन विभाग के बीच तकरार शुरू हो गई है। दोनों विभाग अपने-अपने दावे कर रहे हैं।

डीडीए ने वन विभाग को पत्र लिख सूचित किया है कि यमुना बाढ़ के मैदानों में प्रतिपूरक वनीकरण और पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। वन विभाग ने पहले डीडीए को बताया था कि केंद्र सरकार की एक परियोजना के लिए यमुना बाढ़ के मैदानों में भूमि की आवश्यकता है। वन विभाग ने कहा कि उसने दिल्ली के मुख्य सचिव के निर्देश पर एक विस्तृत विश्लेषण किया और पाया कि यमुना बाढ़ के मैदानों में लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। डीडीए ने जवाब दिया कि नदी के बाढ़ के मैदानों में भूमि की उपलब्धता का वन विभाग का आकलन तथ्यों पर आधारित नहीं था। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक यमुना बाढ़ के मैदानों में विकास के लिए सिर्फ 1,267 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। प्रतिपूरक पौधरोपण के लिए डीडीए ने दिल्ली सरकार को जमीन उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर दिए हैं।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 अगस्त 2022

डीडीए में भ्रष्टाचार, 11 अफसरों पर FIR, 9 की पेंशन वापस

- 2013 में दिया गया था 14.24 करोड़ रुपये का एक टेंडर
- बाद में बिना पूर्व मंजूरी लिए अतिरिक्त काम कराया गया
- एजेंसी को मिलाकर 142.08 करोड़ रुपये का पेमेंट करना पड़ा

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े एक गंभीर मामले में करीब दर्जनभर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। दिल्ली के उप-राज्यपाल और डीडीए के चेयरमैन वीके सक्सेना ने 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए डीडीए के दो पूर्व सदस्यों और 9 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही रिटायर हो चुके अधिकारियों की पूरी पेंशन को भी स्थायी रूप से वापस लेने का निर्देश दिया गया है। मामला वित्तीय हेराफेरी और सीपीडब्लूडी के वर्क्स मैनुअल और जीएफआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के उल्लंघन का है, जो 2013 में सामने आया था।

एलजी ऑफिस के मुताबिक, जिन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है, उनमें उनमें डीडीए के पूर्व मेंबर (इंजीनियरिंग) अभय कुमार सिन्हा, पूर्व मेंबर (फाइनैंस) वेंकटेश मोहन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ओम प्रकाश, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर नाहर सिंह, रिटायर्ड एग्जिक्यूटिव इंजीनियर जेपी शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर पीके चावला, रिटायर्ड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जसवीर सिंह, रिटायर्ड अधिकारी एससी मोंगिया, रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर एससी मित्तल, आरसी जैन और दिलबाग सिंह शामिल हैं।

जिन 9 रिटायर्ड अधिकारियों की वजह से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए एलजी ने इन सभी की पूरी पेंशन भी स्थायी रूप से वापस लेने का आदेश दिया है, जबकि विभागीय जांच के बाद इनकी केवल 25 प्रतिशत पेंशन वापस लेने और केवल एक इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी।

एलजी ऑफिस के मुताबिक, मामला किंग्स्वे कैंप में कोरोनेशन पार्क के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के काम में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है। 2013 में इस काम का ठेका एक एजेंसी को दिया गया था। टेंडर की कुल लागत महज 14.24 करोड़ थी, लेकिन नरेला और धीरपुर में चल रहे प्रोजेक्ट्स को भी बिना पूर्व मंजूरी लिए इसी काम के साथ जोड़कर 114.83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त काम कराया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022 ---DATED---

भ्रष्टाचार के नौ साल पुराने मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 11 अधिकारियों पर दर्ज होगी एफआइआर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरोनेशन पार्क के सुंदरीकरण से जुड़े नौ साल पुराने मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त व दो सेवारत अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन भी रोक दी गई है। डीडीए ने मात्र 25 प्रतिशत पेंशन कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन एलजी ने नामंजूर कर दिया। इन अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन करने और वित्तीय अनियमितता का आरोप है। उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2013 में डीडीए में वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में तत्कालीन सदस्य वित्त व इंजीनियरिंग सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर के आदेश दिए हैं।

किंग्सवे कैंप स्थित कोरोनेशन पार्क के सुंदरीकरण के लिए 14 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ था। बाद में बिना टेंडर किए ही कई अन्य काम कराकर 142 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2016 की आडिट रिपोर्ट में इसे लेकर आपत्ति जताई गई थी। डीडीए अधिकारियों पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कर्स मैनुअल व अन्य नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट में भी अनियमितता की बात सामने आई थी, लेकिन अब तक इस मामले में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी।

- एलजी ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश
- नौ सेवानिवृत्त अधिकारी भी आरोपितों में शामिल, रोकी गई पेंशन
- कोरोनेशन पार्क के सुंदरीकरण से जुड़ा है यह मामला

वीके सक्सेना ● फाइल फोटो

डीडीए के 18,000 करोड़ के 15,500 फ्लैट नहीं बिके

नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण के लगभग 15,500 फ्लैट बिक ही नहीं पा रहे हैं। इनकी कीमत भी करीब 18,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गलत प्लानिंग व जनता की जरूरत को न समझने की वजह से ही डीडीए इस समय बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। यहां के सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। पिछले दिनों एलजी और डीडीए अध्यक्ष वीके सक्सेना ने भी डीडीए की आर्थिक स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था।

विस्तृत » जागरण सिटी

इनके खिलाफ की गई कार्रवाई: अभय कुमार सिन्हा (तत्कालीन सदस्य-इंजीनियरिंग), वेंकटेश मोहन (तत्कालीन सदस्य-वित्त) और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियंता नाहर सिंह, डीडीए के अधिकारी जेपी शर्मा, पीके चावला, जसवीर सिंह, एससी मोंगिया, एससी मित्तल, आरसी जैन व दिलबाग सिंह बैंस के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी।

यह है मामला : 2013 में कोरोनेशन पार्क के सुंदरीकरण व अन्य कार्य के लिए अजब सिंह एंड कंपनी को 14.24 करोड़ का टेंडर दिया गया था। जरूरी अनुमति लिए बगैर नरेला और धीरपुर सहित अन्य स्थानों पर कार्य कराए गए। एजेंसी को 142.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नियम के अनुसार, अतिरिक्त कार्य के लिए नया टेंडर किया जाना चाहिए था। तत्कालीन मुख्य अभियंता (उत्तरी क्षेत्र) ने अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन अतिरिक्त काम को मंजूर किया था। उसके बाद तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) ने 114.83 करोड़ के अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से टेंडर किए बिना मंजूरी दी थी।

दिल्ली सरकार व निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी कर चुके हैं कार्रवाई : एलजी इससे पहले पूर्व आबकारी आयुक्त सहित 11 अफसरों, दो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चार एसडीएम व एक सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। नगर निगम के छह अधिकारियों व कर्मियों को भी भ्रष्टाचार मामले में निलंबित किया था।

संबंधित खबर » पेज 5, जागरण सिटी

नौ वर्ष तक फाइलों में ही होती रही डीडीए घोटाले पर कार्रवाई

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

- विजिलेंस की जांच में भी नपे थे अधिकारी, पर सिर्फ 25% पेंशन कम करने का दिया गया था प्रस्ताव
- राजनिवास में पहले भी आ चुकी है इस मामले की फाइल, लेकिन कभी नहीं लिया गया कोई निर्णय

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जिस प्रकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 11 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, उस पर नौ वर्ष से फाइलों में ही कार्रवाई हो रही थी। न विजिलेंस की रिपोर्ट पर अमल हुआ, न भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया। यहां तक कि राजनिवास में भी इससे पहले इस फाइल पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि यह अतिरिक्त कार्य नई निविदाओं के जरिये किया जाना चाहिए था। इससे प्रतिस्पर्धी बोली के मामले में करोड़ों रुपये की बचत होने के साथ बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती। लेकिन, संभावित कमीशन के बदले ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम तय मानदंड ताख पर रख दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक एक पार्क के सौंदर्यीकरण के टेंडर की लागत 900 गुना तक बढ़ने का यह मामला सबसे पहले विजिलेंस के पास गया था। विजिलेंस की जांच में अधिकारियों को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया और उनकी 25 प्रतिशत पेंशन रोकने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वर्ष 2016 में कैग की रिपोर्ट में भी इस प्रकरण की खामियां उजागर की गईं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इस बार भी कोई फैसला नहीं लिया गया। सबसे अहम बात यह कि इस मामले की फाइल राजनिवास में पहले भी आ चुकी है, लेकिन वहां भी इसे ठंडे बस्ते में ही रखा गया।

डीडीए अभियंता कल्याण परिषद के सचिव विनोद कुमार वत्स ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को एक तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न बताया है। उनका कहना है कि सच वह नहीं है, जैसा बताया या दिखाया जा रहा है। सच यह है कि नरेला और धीरपुर में कुछ राजनीतिज्ञों के दौरे होने थे, जिसके मद्देनजर वहां विकास कार्य कराए जाने थे। नए टेंडर की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता, इसीलिए जो टेंडर चल रहा था, उसी के तहत अन्य कार्य भी करा दिए गए।

डीडीए के 18,000 करोड़ के 15,500 फ्लैट नहीं बिके

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

2014
से आवासीय योजनाओं में फंसता चला गया पैसा, जनता ने फ्लैटों को भी दिया नकार

- जानकारों के अनुसार, गलत प्लानिंग और जरूरत नहीं समझने की वजह से कंगाल हुआ डीडीए

फ्लैट न बिकने के कुछ प्रमुख कारण

- फ्लैटों का साइज छोटा होना-
- फ्लैटों के आसपास ट्रांसपोर्ट, एटीएम व बाजारों व सुरक्षा की कमी
- डीडीए के फ्लैटों का प्राइवेट बिल्डरों के बनाए फ्लैटों से महंगा होना
- डीडीए के द्वारका में आए एमआइजी श्रेणी के फ्लैटों का ड्रेन के पास होना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लगभग 15,500 फ्लैट बिक ही नहीं पा रहे हैं। इनकी कीमत भी करीब 18,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गलत प्लानिंग व जनता की जरूरत को न समझने की वजह से ही डीडीए इस समय बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। यहां के सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन भी नहीं मिल पा रही है।

पिछले दिनों एलजी और डीडीए अध्यक्ष वीके सक्सेना ने भी डीडीए की आर्थिक स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान डीडीए की आमदनी 3,578.69 करोड़ की है। कुल खर्चा 6,787.83 करोड़ का है। यानी डीडीए 3209.14 करोड़ के घाटे में है। इतना ही नहीं, 2016-17 से 2021-22 के दौरान डीडीए पर 8915 करोड़ की लोन देनदारी भी है। ट्वीट में लिखा गया कि डीडीए राजधानी के सबसे महंगे और बड़े रियल इस्टेट का मालिक है, लेकिन कुप्रबंधन की वजह से ही उसके आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। एलजी ने इस पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे।

अधिकारियों के मुताबिक डीडीए के हालात खराब होना 2016-17 में शुरू हुए। वजह, 2014 से डीडीए के फ्लैटों की मांग गिरती चली गई। 2014 में आवासीय योजना में जो फ्लैट शामिल किए गए, वो अपने छोटे साइज की वजह से लोगों को पसंद नहीं आए। इसके अलावा डीडीए के फ्लैटों की खराब डिजाइनिंग, प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में अधिक कीमत और फ्लैटों का आउटर क्षेत्र में ऐसी जगह स्थित होना रहा जहां आसपास कनेक्टिविटी सहित दूसरी अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा।

अधिकारियों की मानें तो इन फ्लैटों को बेचने के लिए डीडीए ने कई कदम उठाए। फ्लैटों के आसपास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए गए, तीसरी रिंग रोड यानी यूइआर-2 को इन नए सेक्टरों से जोड़ा गया, दो फ्लैट को जोड़ने की स्कीम लाई गई, पहले आओ पहले पाओ को भी आजमाया गया। लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। 2014 के बाद से अब तक डीडीए अपनी आवासीय योजनाओं में करीब 57 हजार फ्लैट में ला चुका है। इनमें से करीब 15500 फ्लैट लोगों ने या तो वापस कर दिए या बिक ही नहीं पाए। अकेले नरेला में डीडीए के 25,000 फ्लैट विभिन्न ग्रुप हाउसिंग पाकेट में तैयार हो चुके हैं। इन्हें बेचने के लिए डीडीए कोशिश कर रहा है। डीडीए के अनुसार नरेला में मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इससे नरेला के फ्लैट्स की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। डीडीए यहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डीएमआरसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। मेट्रो के फेज-4 में रिठाला-बवाना-नरेला रूट पहले ही प्रस्तावित है। इस संदर्भ में डीडीए डीएमआरसी के साथ कई बैठक कर चुका है। इनमें डीडीए ने डीएमआरसी और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर इस प्रस्तावित लाइन के एलाइनमेंट पर बात की है ताकि यह रूट नरेला सब सिटी में निर्मित अधिकाधिक हाउसिंग पाकेट और लैंड पूलिंग एरिया को कनेक्टिविटी दे सके। नरेला में मेट्रो को लाने के लिए डीडीए ने फंड भी मंजूर कर दिया है और इसमें से मेट्रो के प्रस्तावित रूट के लिए 130 करोड़ रुपये का बजट डीएमआरसी को दिया भी जा चुका है। ताकि मेट्रो का काम यहां समय पर शुरू हो और पूरा भी हो सके। इसके अलावा डीडीए एनएचएआइ से भी संपर्क में है ताकि अर्बन एक्शन रोड को भी नरेला सब सिटी से जोड़ा जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER .... DATED ....

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 अगस्त 2022

नेहरू प्लेस में बन रहे स्काईवॉक के तय समय पर नहीं बनने के दिख रहे आसार

डीएमआरसी और मॉल के दुकानदारों की आपत्तियां बताई जा रही वजह

■ राम त्रिपाठी, नेहरू प्लेस

सौंदर्यीकरण योजना के तहत नेहरू प्लेस में बनने वाला बहुचर्चित स्काईवॉक निर्धारित समय पर तैयार नहीं हो पाएगा। अभी इसके 8 में से 5 पिलर की नींव ही तैयार हो पाई है। इस देरी का कारण डीएमआरसी और मॉल के दुकानदारों की आपत्तियां बताया जाता है। मॉल के सेकंड फ्लोर पर मेट्रो स्टेशन है। इस कारण योजना का डिजाइन दोबारा तैयार हुआ था। इसे जनवरी 2022 में मंजूरी मिली थी। सत्यम सिनेमा रोड (आस्था कुंज मार्ग) से मेट्रो स्टेशन तक स्काईवॉक बनाना डीडीए की नेहरू प्लेस के सौंदर्यीकरण की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट 2019 में तैयार हुआ था। उसे 2020 में मंजूरी मिली थी। उसके बाद स्काईवॉक का काम शुरू किया गया। इसी दौरान मॉल के दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज की थी कि स्काईवॉक का पिलर मेन गेट के सामने आ रहा है।

डीडीए के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अंसारी अली ने एनबीटी को बताया कि पिलर मेन गेट से थोड़ी दूरी पर था। आपत्ति आने पर डिजाइन फिर से तैयार किया गया। इसे इस साल के शुरू में मंजूरी मिल गई है। जिस पर अब काम

नेहरू प्लेस के सौंदर्यीकरण की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्काईवॉक

- नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मार्केट तक स्काईवॉक बनाने की है योजना
- अभी इसके 8 में से 5 पिलर की नींव ही तैयार हो पाई है
- डीडीएस ने कहा, दुकानदारों की आपत्ति आने पर डिजाइन फिर से तैयार किया गया, इसलिए हो रही देरी

जारी है। स्काईवॉक के निर्धारित समय 30 नवंबर तक बनकर तैयार होने की उम्मीद न के बराबर है। इसका कारण यह है कि अभी सारे पिलर भी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। योजना के अनुसार, उसके बाद स्टील के कॉलम बनाए जाएंगे। उस पर 6 मीटर चौड़ा और 210 मीटर लंबा स्काईवॉक का रास्ता बनेगा। इसके बाद ग्रेनाइड, फ्लोरिंग और फ्रेम आदि लगाने का काम शुरू होना है।

सत्यम सिनेमा रोड से स्काईवॉक पर जाने के लिए लिफ्ट, सीढ़ियां और एस्केलेटर तीनों सुविधाएं होंगी। स्काईवॉक मेट्रो स्टेशन के टिकट घर के पास तक जाएगा। वहां से नेहरू प्लेस मेन मार्केट का भी रास्ता है। बताया जाता है कि स्काईवॉक बनाने का काम अगले साल की पहली तिमाही में ही पूरा हो पाएगा।

साल भर से ट्रैफिक प्रभावित

स्काईवॉक की सीढ़ियां और लिफ्ट आदि सत्यम सिनेमा रोड (आस्था कुंज मार्ग)

रोजाना लगता है जाम

के किनारे बन रही हैं। यह काम करीब 1 साल से जारी है। इसके कारण रोड की 1 लेन काफी दूर तक ट्रैफिक के लिए बंद है। पीक आवर्स में यहां जाम लग जाता है। ऑल इंडिया कंप्यूटर ट्रेडर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि डीडीए को कई बार शिकायतें की गई हैं। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। फेडरेशन ऑफ नेहरू प्लेस असोसिएशन (फोना) के प्रेजिडेंट अनविंदर सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट का शुरू में काम काफी अच्छा चल रहा था। अब स्थिति एकदम उलट है। ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER Hindustan Times DATED 12/08/2022

LG orders registration of FIR against 11 retired DDA officials

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena has ordered the Delhi Development Authority (DDA) to register a first information report (FIR) against 11 former DDA officials over charges of financial misappropriation and violation of rules in a nine-year-old case. The LG has also ordered that their full pension benefits be withdrawn.

The former officers include engineering member (in charge of all engineering projects), member finance in DDA, chief engineer, superintending engineer, executive engineers, assistant engineers and officials from the finance and accounts sections.

According to a senior official in LG's office, the matter is related to the award of work for the upgradation and beautification of Coronation Park at Kingsway Camp in 2013. While the initial tender was for ₹14.24 crore, additional work amounting to ₹114.83 crore was carried out at Narela and Dhirpur without any sanction, he said, requesting anonymity.

The original project cost of ₹14.24 crore was hiked to ₹28.36 crore, and additional work worth ₹114.83 crore at a different location was carried out without any sanctioned estimate. This resulted in overall payment of ₹142.08 crore to contractors -- way over the initial estimate -- according to officials. This irregularity was pointed out by the Comptroller and Auditor General (CAG) in a report in 2016, which concluded an overall deviation of 897.67% (almost nine times) from the original work cost.

The matter was placed before the LG a month ago against just the engineers involved in the case. But the LG asked DDA officials to put on record the procedures and levels of clearances required and names of officials who were involved in the execution of this entire project.

The LG expressed "serious displeasure" and took a strict note of the manner in which the supervisory officers – member (engineering) and member (finance) failed in their responsibility to effectively supervise their subordinate officers, which resulted in the charged officers blatantly violating the provisions of CPWD Works Manual and General Financial Rules and causing avoidable loss to DDA.

"I am of the considered view that the entire sequence of events amounts to criminal breach of trust and the angle of corruption cannot be ruled out. Hence, it is directed to register FIR in this case against all concerned, including incumbent supervisory officers... within 15 days," the LG said in his order.

Saxena has also directed the DDA to put in place a mechanism to prevent such incidents. "...In addition, a foolproof system should be put in place for effective supervision and internal audit mechanism, to ensure that such incidents do not reoccur in future. A report to be submitted for my perusal within 15 days," the order said.

The LG has ordered DDA "permanently withdraw the full pension benefits" of the retired officials.

DDA declined to comment on the issue.

235-HECTARE PARK TO COME UP ON RIVERFRONT IN MAYUR VIHAR

Risha Chitlangia
rishi.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: After Delhi LG VK Saxena on Tuesday laid the foundation stone for the development of the Capital's first bamboo theme park on the Yamuna riverfront, the Delhi Development Authority (DDA) said on Thursday that it was working on developing another recreational space, Mayur Nature park, on the Delhi-Uttar Pradesh border near Mayur Vihar.

Senior DDA officials who are aware of the matter said that the park will be spread over 235 hectare on the eastern bank of the Yamuna, and like the Bamboo Park it was also a part of the Yamuna riverfront redevelopment project.

The officials said that the original planned size of the park was 397.75 hectares. "But we found out that DDA only has 235 hectares of land with it. Some land parcels are privately owned by residents of Nangli Razapur and Chilla Village, and 162.75 hectare is owned by the Uttar Pradesh irrigation department," a DDA official said asking not to be named.

The official added, "We are currently demarcating the land and the process will be completed soon. Once the demarcation is done, we will have 235 hectare of land for which planning will begin. The plan is to have cycle and walking tracks, but the park will have no concrete structure."

The park is one the 10 projects undertaken as part of the riverfront rejuvenation project that was conceived following the National Green Tribunal's order in 2015, and started in 2017. Of the 10 projects, work on the phase 1 of four projects near Old Railway Bridge, ITO Barrage, Kalindi Bypass and DND flyway has been completed. "The work on phase 2 involving four projects has been initiated, while work on phase-I of all the remaining projects has been initiated," said the official.

DDA officials said that close to 1,400 hectares on the eastern and western banks, over 22 km-stretch of the river, is being developed as part of the riverfront project.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली | शुक्रवार, 12 अगस्त 2022 --DATED--

वित्तीय अनियमितता : डीडीए के 11 अफसरों पर एफआईआर के आदेश, 9 हो चुके रिटायर

एलजी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन वापस लेने के भी दिए आदेश

नई दिल्ली। किंग्सवे कैंप में कोरोनेशन पार्क के सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन से संबंधित नौ साल पुराने वित्तीय अनियमितता के मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। रिटायर्ड अधिकारियों की पूरी पेंशन वापस लेने के भी आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

2013 की एक परियोजना में सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल और जीएफआर के उल्लंघन के मामले में इन अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी। इनमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता समेत वित्त, लेखा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। आरोपियों में तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) अभय

कुमार सिन्हा, तत्कालीन सदस्य (वित्त) वेंकटेश मोहन, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियंता नाहर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेपी शर्मा, डिप्टी सीएओ पीके चावला, एएओ जसवीर सिंह, एएडी एससी मोंगिया, एई एससी मित्तल, एई आरसी जैन और एई दिलबाग सिंह बैंस शामिल हैं। सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन लाभ को पूर्ण तौर पर वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने पहले 25 फीसदी पेंशन वापस लेने की सिफारिश की थी। ब्यूरो

2016 में कैग ने दिए थे गड़बड़ी के संकेत

वर्ष 2013 में संबंधित कार्य मैसर्स अजब सिंह एंड कंपनी को दिया गया था। कार्य की निविदा लागत 14.24 करोड़ रुपये थी, जबकि बगैर स्वीकृति नरेला और धीरपुर में 114.83 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिए गए। इसके अलावा मूल परियोजना लागत भी 14.24 करोड़ रुपये से बढ़कर 28.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। परिणामस्वरूप एजेंसी को 142.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस मामले में 2016 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितता के संकेत दे दिए थे।

पंजाब केसरी · 12 अगस्त, 2022 ▸ शुक्रवार

वित्तीय हेराफेरी मामला | **नौ साल पुराने मामले में डीडीए के 11 अधिकारियों पर एफआईआर**

भ्रष्टाचार पर फिर एलजी का एक्शन

1 डीडीए के नौ सेवानिवृत, दो सेवारत अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

2 नौ सेवानिवृत अधिकारियों की पेंशन को स्थाई रूप से वापस लेने का आदेश

3 उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

इन अधिकारियों पर गिरी गाज... उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा आदेश मेंकार्रवाई का सामना करने वाले अधिकारियों में तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) अभयकुमार सिन्हा, तत्कालीन सदस्य (वित) वेंकटेश मोहन, मुख्य अभियंता सेवानिवृत)ओम प्रकाश, अधीक्षक अभियंता (सेवानिवृत) नाहर सिंह, ईई (सेवानिवृत) जेपीशर्मा, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) सेवानिवृत) पीके चावला, सहायक लेखापरीक्षक (एएओ) (सेवानिवृत) जसवीर सिंह, एएडी (सेवानिवृत) एससी मोंगिया,अतिरिक्त अभियंता (एई) (सेवानिवृत) एससी मित्तल, अतिरिक्त अभियंता (एई)(सेवानिवृत) आरसी जैन और अतिरिक्त अभियंता (एई) (सेवानिवृत) दिलबाग सिंह बैंसशामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार यह मामला किंग्सवे कैंप में एक कोरोनेशन पार्क केउन्नयन और सौंदर्यीकरण के कार्य से संबंधित है जो 2013 में दिया गया था। संभावितकमीशन के बदले ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघनकिया गया था। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी जताते हुएदोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने नौ साल पुराने वित्तीय हेराफेरी के एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। इनमें से नौ अधिकारी सेवानिवृत्त और दो सेवारत अधिकारी शामिल हैं।

डीडीए के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल ने नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को भी स्थाई रूप से वापस लेने का आदेश दिया है। बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और कोडल औपचारिकताओं के उल्लंघन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जाए। नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षक अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे।

पूर्ण पेंशन लाभ को स्थाई रूप से वापस लेने के फैसले पर अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान को देखते हुए कठोर कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS राष्ट्रीय सहारा DATED 12/8/2022

सम्पत्तियां खरीदना हुआ महंगा लेकिन आवंटन होगा पारदर्शी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नोएडा।

प्राधिकरण ने अपनी कई श्रेणियों की सम्पत्तियों के आवंटन दरों में इजाफा किया है। हालांकि तय समय पर निर्माण पूरा नहीं करने वालों को राहत मिली है। साथ ही आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी तरह की सम्पत्तियों का आवंटन ई-नीलामी के जरिए करेगा। डीडीए की आवंटन प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए संशोधित योजना विवरणिका को पेश किया है। बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए प्राधिकरण ने पूरी रकम जमा करने पर ही आवंटन करने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार को हुई 205वीं बोर्ड बैठक में इस सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया।

बोर्ड बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बोर्ड बैठक में 20 प्रमुख एजेंडे पास किए गए। इसमें 2022-23 के सम्पत्तियों की नई भू दरों के लिए लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक आवासीय भूखंडों के ई श्रेणी के सेक्टरों के लिए आवंटन दर 41250 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित कर दी गई है। ए से डी श्रेणी के सेक्टरों की आवंटन दर में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। जबकि ए प्लस श्रेणी के सेक्टरों की आवंटन दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आवासीय भवनों की दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। संस्थागत भूखंडों की दरों में भी 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक श्रेणी के फेज-1 व 3 के सेक्टरों में 20 फीसद व फेज-2 में 30 फीसद बढ़ोतरी की गई है। वाणिज्यिक भूखंडों की दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है।

पारदर्शी बनेगा भूखंड आवंटन, बिल्डरों पर कसी नकेल : प्राधिकरण की आवंटन प्रक्रिया में हमेशा सवाल उठते थे। इससे निजात पाने के लिए पिछली बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने सभी तरह के भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के जरिए कराने का फैसला किया था। इसके लिए प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों के आवंटन में डीडीए की आवंटन प्रक्रिया को अंगीकार कर अन्य श्रेणियों के भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया, प्रीमियम के भुगतान की नियम व शर्तों में बदलाव कर नया ब्रोशर जारी कर दिया है। ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर अन्य सभी तरह के भूखंडों की आवंटन राशि एकमुश्त जमा कराने पर 2 फीसद की छूट दी जाएगी। भविष्य में ग्रुप हाउसिंग के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंडों के आवंटन के बाद 90 दिन के भीतर एकमुश्त राशि जमा करानी होगी।

प्राधिकरण ने कुछ श्रेणियों में आवंटन दर में किया इजाफा

आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में किया बदलाव

डेवलपर को एस्क्रो एकाउंट खुलवाना होगा ताकि वह परियोजना का पैसा दूसरी जगह साइफन न कर पाए। आवंटन के बाद बिल्डर उप विभाजन व समामेलन नहीं करा पाएगा। डेवलपर को खरीदारों के नाम, आवंटित फ्लैट संख्या, एस्क्रो अकाउंट में जमा की गई राशि का विवरण हर तीन माह में प्राधिकरण को देना होगा।

निर्माण के लिए समयवृद्धि शुल्क में मिली राहत : प्राधिकरण ने अपने ऐसे आवंटियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं कराया है। यह राहत ग्रुप हाउसिंग व आवासीय भूखंडों के आवंटियों को देते हुए समयवृद्धि शुल्क में नए सिरे से पुर्निर्धारण किया है। पहले निर्माण की मुफ्त समय सीमा बीतने के बाद पहले साल के लिए आवंटन दर का 4 फीसद शुल्क लिया जाता था। इसी तरह दूसरे से छठे साल तक क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 फीसद, 7वें से 10वें साल तक 10 फीसद व दस वर्ष के बाद 25 फीसद तक समयवृद्धि शुल्क लेने का प्रावधान था। इसे संशोधित कर ग्रुप हाउसिंग व आवासीय भूखंडों के निर्माण के लिए अनुमन्य अवधि के बाद पहले वर्ष के लिए एक फीसद, दूसरे से 10वें वर्ष तक 2 से 10 फीसद व 10 वर्ष के बाद 10 फीसद वार्षिक की दर से समयवृद्धि शुल्क देना होगा। इसके अलावा कोविड महामारी को देखते हुए सभी तरह की सम्पत्तियों में छह महीने का निशुल्क समयवृद्धि दी गई है। 20 जुलाई 2022 को जारी शासनादेश के मुताबिक दिए गए 6 माह के निशुल्क समयवृद्धि में यह समय जोड़ दिया जाएगा जिससे कुल एक साल की निशुल्क समयवृद्धि मिल जाएगी। प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों के आवंटियों को एक और राहत दी है। इसमें भाई-बहन व बहन-बहन के बीच रक्त संबंध मानते हुए अंतरण को निशुल्क कर दिया गया है। पहले भाई-बहन के बीच 2.5 फीसद अंतरण शुल्क लगता था। इतना ही नहीं बिल्टअप भवनों के आवंटियों को राहत देते हुए उनके लिए ओटीएस योजना फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया है जो पूर्व में ओटीएस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं।

जेपी के खरीदारों की मुश्किल बढ़ी : प्राधिकरण ने अपने तमाम आवंटियों को कई तरह की रियायतें दी हैं लेकिन जेपी की अधूरी परियोजनाओं को आगे समयवृद्धि मुफ्त न देने का फैसला किया है। इससे जेपी की परियोजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल प्राधिकरण ने 2003 से 2011 के बीच यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के साथ जेपी इंफ्राटेक के बीच हुए कंसेशनल एग्रीमेंट के तहत नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे 500 हेक्टेयर भूमि दी थी। एग्रीमेंट में परियोजना का पूरा करने के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया था। इस वजह से जेपी अपनी अधूरी परियोजनाओं पर लगातार मुफ्त समयवृद्धि हासिल करता जा रहा था। इस वजह से प्राधिकरण ने अब और समय वृद्धि नहीं देने का फैसला किया है। इसके तहत जिन परियोजनाओं को जेपी मेसर्स विकसित कर रहा है और कन्सेशन एग्रीमेंट में समय सीमा का निर्धारण नहीं है तो उसके लिए 31 दिसम्बर 2025 तक समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर अतिरिक्त समयवृद्धि संबंधित श्रेणियों के शुल्क के अनुसार तय की जाएगी। ऐसी परियोजनाएं जिनमें जेपी, यमुना व थर्ड पार्टी के बीच लीज डीड हो चुकी है लेकिन लीज डीड में समय निर्धारित नहीं है तो ऐसे मामलों में प्राधिकरण के संबंधित सम्पत्ति विभाग में प्रचलित नीति के मुताबिक समय सीमा निर्धारित होगी। अगर यह समय सीमा 31 मार्च 2022 से पहले समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में यमुना प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक कोई समयवृद्धि शुल्क नहीं लिया जाएगा। समय वृद्धि शुल्क की गणना 1 अप्रैल 2022 से किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक अगर जेपी भविष्य में कोई भूखंड बेचता है और जेपी, यमुना प्राधिकरण व तीसरे पक्ष के बीच सबलीज होती है तो ऐसे मामलो में 2027 तक का समय विकास के लिए दिया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण में गौतमबुद्धनगर की तीनों प्राधिकरण की बोर्ड बैठक लेते अधिकारी। फोटो : एसएनबी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS 12 अगस्त • 2022 | राष्ट्रीय सहारा -----------DATED-----------

नौ रिटायर्ड, दो सेवारत डीडीए अफसरों पर होगी एफआईआर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नौ साल पुराने कथित वित्तीय हेराफेरी के एक प्रकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

■ नौ साल पुराने कथित वित्तीय हेराफेरी मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया आदेश

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया, उपराज्यपाल सक्सेना ने नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को भी स्थाई रूप से वापस लेने का आदेश दिया है। सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारी ने बताया, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली 2013 में वित्तीय हेराफेरी और 'कोडल औपचारिकताओं' के उल्लंघन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जाए। नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे।

पूर्ण पेंशन लाभ को स्थाई रूप से वापस लेने के फैसले पर अधिकारियों ने बताया, उपराज्यपाल ने गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान को देखते हुए कठोर कदम उठाया है। उन्होंने कहा, हालांकि डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।

नौ साल पुराने मामले में

डीडीए के 11 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी

■ राजेश तिवारी

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक नौ साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 11 अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसमें 9 अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं जबकि दो अधिकारी प्राधिकरण में अभी कार्यरत हैं। उप-राज्यपाल ने प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों की पेंशन सुविधा भी वापस लिए जाने की सिफारिश की है। हालांकि डीडीए ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी अधिकारियों की सुविधाओं में 25 फीसद कटौती की सिफारिश की थी।

सूत्रों के मुताबिक यह मामला उत्तरी दिल्ली स्थित धीरपुर के पास बने कोरोनेशन पार्क से जुड़ा है। डीडीए के तत्कालीन अधिकारियों ने कोरोनेशन पार्क विकसित करने के लिए वर्ष 2013 में अजब सिंह एंड कंपनी को 14.24 करोड़ रुपए में ठेका दिया था। आरोप है कि विधिगत प्रक्रिया को अपनाये बगैर कार्य को बढ़ाकर कुल 114.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उप-राज्यपाल के इस निर्णय से प्राधिकरण के अधिकारी संतुष्ट हैं।

सूत्रों का कहना है कि यह मामला करीब 9 साल से लंबित है। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस मामले में गंभीर टिप्पणी की गई थी। सीएजी की टिप्पणी के बाद विभागीय जांच कराई गई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने इस मामले की जांच तत्कालीन सीवीओ से भी कराई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों में डीडीए के

उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के इस मामले में दिए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों की पेंशन समेत अन्य सुविधाएं वापस लेने की सिफारिश

आरोपियों में तत्कालीन इंजीनियरिंग एवं वित्त विभाग के सदस्यों समेत आला अधिकारी शामिल

धीरपुर में बने कोरोनेशन पार्क को विकसित करने में बड़े स्तर पर धांधली हुई

तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) अभय कुमार सिंह, सदस्य (वित्त) वेंकटेश मोहन, ओम प्रकाश (सीई), नाहर सिंह (एसई), जेपी शर्मा (ईई), पीके चावला (डिप्टी सीईओ), जसबीर सिंह (एएओ), एससी मोगियां (एएडी), एसएसी मित्तल (एई), आरसी जैन (एई), दिलबाग सिंह बैंस (एई) शामिल हैं। दरअसल उप-राज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं और इसी अधिकार के चलते उन्होंने यह आदेश दिया है। इसमें अधिकांश अधिकारी डीडीए में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सूत्रों का कहना है कि डीडीए की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पार्क को विकसित के कार्य में घोर अनियमितता हुई है और नियमों की धज्जियां उड़ायी गई हैं। उप-राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि यह घोर कदाचार का मामला है और इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU DELHI
NAME OF NEWSPAPERS- FRIDAY, AUGUST 12, 2022 -----------DATED-----------

L-G revokes pension of 9 ex-DDA officials in 9-year-old graft case

FIR ordered against 11 for carrying out work worth ₹114.8 cr. despite tender of ₹14.2 cr.

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena on Thursday ordered an FIR against 11 Delhi Development Authority (DDA) officials in a 9-year-old case of alleged corruption.

Action against the accused functionaries, nine of whom are retired and will have their pensions revoked permanently, was taken in connection with the upgrade and beautification of the Coronation Park at north Delhi's Kingsway Camp in 2013. The work was awarded to M/s Ajab Singh and Co.

L-G House sources said the accused officials allegedly carried out additional work worth ₹114.83 crore despite the sanctioned tender cost of ₹14.24 crore and Mr. Saxena's orders were aimed at ensuring accountability and fixing responsibility for "corruption and financial misconduct right at the cutting edge of decision-making".

Irregularities have ben pointed out in the beautification work of the Coronation Park in north Delhi in 2013. • FILE PHOTO

"Mr. Saxena, in his capacity as Chairman, DDA, has expressed displeasure and ordered an FIR against the then Member (Finance) and Member (Engineering) of the DDA, apart from the nine retired officials, for blatant financial misappropriation and violation of Codal Formalities in 2013," a source said. The retired officials include a Chief Engineer, a Superintendent Engineer and an Executive Engineer, among others.

"The officials facing action include Abhay Kumar Sinha, then Member (Engineering), and Venkatesh Mohan, then Member (Finance). The retired officials are Om Prakash, Nahar Singh, J.P. Sharma, P.K. Chawla, Jasvir Singh, S.C. Mongia, S.C. Mittal, R.C. Jain and Dilbagh Singh Bains," the source added.

'Grave misconduct'

Terming it "grave misconduct and loss to the exchequer", the L-G, according to the source, issued orders to "permanently withdraw the full pension benefits" of the retired officials against the department's recommendation of withdrawing only 25% of their pension.

"This gross irregularity was pointed out by the CAG in its report in 2016, which concluded an overall deviation of 897.67%, almost 9 times the original cost," the source said. The additional work, the source said, should have been done through fresh tenders that would have not only "saved crores" in terms of competitive bidding but also ensured better quality.

"In what appears to be a case of convenient collusion between the contractor and the officials, all laid-down norms were violated to benefit the contractor in lieu of probable commissions," said the source.

"Interestingly, the execution of the additional work was approved by the then Chief Engineer (North Zone) on the day of his retirement in 2014. DDA officials from the accounts and finance departments released payments by diverting funds from other heads, thus violating laid down procedures," the source added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRES

the pioneer
NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | FRIDAY | AUGUST 12, 2022

LG orders FIR against 11 retired DDA officials in 2013 graft case

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Thursday ordered the registration of a First Information Report (FIR) against 11 former Delhi Development Authority (DDA) officials, including then Member (Finance) and Member (Engineering), over alleged financial misappropriation and violation of norms in a 2013 case.

The L-G, who is the DDA Chairman, also ordered "permanent withdrawal of full pension" of nine retired officials. These officials include a chief engineer, a superintendent engineer and an executive engineer while the others were employed in the finance and accounts departments.

In a statement, the Raj Niwas said, "Lt-Governor VK Saxena in his capacity as DDA Chairman has ordered that an FIR be registered against the then member (finance) and the then member (engineering) of DDA, apart from nine other officials in a 2013 case of blatant financial misappropriation and violation of codal formalities, Central Public Works Department Works Manual."

"I am of the considered view that the entire sequence of events amounts to criminal breach of trust and the angle of corruption cannot be ruled out. Hence, it is directed to register FIR in this case against all concerned, including incumbent Supervisory Officers, viz Abhai Kumar Sinha EM, DDA and Venkatesh Mohan, EM, DDA within 15 days," the L-G said in his order.

Continued on Page 2

LG orders FIR...

From Page 1

"...In addition, a foolproof system should be put in place for effective supervision and internal audit mechanism; to ensure that such incidents do not reoccur in future. A report to be submitted for my perusal within 15 days," the order further read.

The officials facing the action include Abhay Kumar Sinha, then Member (Engineering), Venkatesh Mohan, the then Member (Finance), Om Prakash, CE (Retd) Nahar Singh SE (Retd) JP Sharma, EE (Retd), PK Chawla, Dy CAO (Retd), Jasvir Singh, AAO (Retd), SC Mongia, AAD (Retd), SC Mittal, AE (Retd), RC Jain, AE (Retd) and Dilbagh Singh Bains, AE (Retd).

The case relates to the work for up-gradation and beautification of Coronation Park at Kingsway Camp that was awarded to M/s Ajab Singh & Co. in 2013. The tender cost of the work was Rs 14.24 crore but additional works amounting to Rs 114.83 crore was carried out at Narela and Dhirpur, without any sanctions.

In a nutshell, the original project cost of Rs 14.24 crore was escalated to Rs 28.36 crore and the same was further deviated with additional work, at a different location altogether, amounting to Rs 114.83 crore was executed without any sanctioned estimate. This resulted in overall payment of Rs 142.08 crore to the agency. This gross irregularity was pointed out by the CAG in its report in 2016, which concluded an overall deviation of 897.67 per cent (almost 9 times) from the original work.

This additional work should have been done through fresh tenders that would have not only saved crores in terms of competitive biddings but also ensured better quality.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक भास्कर -----------------------DATED---------------------

जीआरएएफ का उल्लंघन और वित्तीय कदाचार के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध एलजी ने दिए सेवा निवृत डीडीए अधिकारियों के पेंशन वापिस लेने के आदेश

भ्रष्टाचार में डीडीए के 11 अफसरों पर केस के आदेश

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

जीआरएएफ उल्लंघन और वित्तीय हेराफेरी के 9 साल पुराने मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 11अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें से दो सेवा रत्त और 9 सेवा निवृत डीडीए के अधिकारी है। साथ ही इन सभी 9 अधिकारियों से विभाग को सौ फीसदी पेंशन की रकम वापिस लेने का आदेश दिया है।

एलजी ऑफिस से जारी आदेश के अनुसार डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और कोडल औपचारिकताओं' के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इन नौ रिटायर्ड अधिकारियों में एक चीफ इंजीनियर अभियंता, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे।

अधिकारियों ने बताया कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए उपराज्यपाल ने गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान को देखते हुए यह कठोर कदम उठाया है। सेवानिवृत 9अधिकारियों व कर्मचारियों के पेंशन भी पूर्ण रूप से वापिस लेने के आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार डीडीए के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल 9 अधिकारियों का के पेंशन में से केवल राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश किया था जिसे उपराज्यपाल ने निरस्त कर पूरी पेंशन वापिस लेने का आदेश दिया है।

केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, एलजी कार्रवाई करें : कांग्रेस

भास्कर न्यूज़|नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस ने उपराज्यपाल से अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने माननीय उपराज्यपाल से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा मिले अनुरोध पत्र जिसमें आम आदमी पार्टी ओखला विधायक को दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमेन पद से हटाने की अनुशंषा की गई है, पर शीघ्र निर्णय लेने की माँग की है। बयान जारी कर उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल द्वारा झूठ, लूट व भ्रष्टाचार वाद फैलाने के खिलाफ संविधान सम्मत त्वरित फैसले की माँग की है।

उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अली मेंहदी, मीडिया विभाग उपाध्यक्ष परवेज आलम सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा 11 जुलाई 2019 को सौंपी गई मेमोरंडम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने 3 वर्ष पूर्व विधायक द्वारा वक्फ बोर्ड में की गई भ्रष्टाचार, अनियमितता में निष्पक्ष जाँच तथा जाँच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उन्हें पद से हटाने की माँग की थी। दिल्ली कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपने मेमोरंडम में 33 पदों के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद करने तथा खास लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था।

चौधरी अनिल कुमार ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए मेमोरंडम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए ओखला विधायक को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटाने कि माँग की थी, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भी माना है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS FRIDAY, 12 AUGUST, 2022 | NEW DELHI ED

IN A CASE OF FINANCIAL MISAPPROPRIATION

Delhi L-G orders FIR against 9 retired, two serving DDA officials

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has ordered an FIR against nine retired and two serving Delhi Development Authority (DDA) officials in a nine-year-old case of financial misappropriation, officials said on Thursday.

The L-G, who is the DDA chairman, has also ordered permanent withdrawal of the nine retired officials' pension, they said.

"Lt Governor VK Saxena, in his capacity as DDA chairman, has ordered that an FIR be registered against the then member (finance) and then member (engineering) of DDA, apart from nine other officials in a 2013 case of blatant financial misappropriation and violation of codal formalities, Central Public Works Department Works Manual," officials said.

The nine retired officials include a chief engineer, a superintendent engineer and an executive engineer while the others were employed in the finance and accounts departments.

On "permanent withdrawal of full pension benefits", officials said the L-G took the stern measure considering the "grave misconduct and loss to the exchequer" even as the DDA recommended deducting only 25 per cent of the amount.

The officials facing action

include then Member (Engineering) Abhay Kumar Sinha, the then Member (Finance) Venkatesh Mohan, Chief Engineer (Retd) Om Prakash, Superintending Engineer (Retd) Nahar Singh, EE (Retd) JP Sharma, Dy. CAO (Retd) PK Chawla, AAO (Retd) Jasvir Singh, AAD (Retd) SC Mongia, AE (Retd) SC Mittal, AE (Retd) RC Jain, and AE (Retd) Dilbagh Singh Bains.

According to officials, the case relates to the work for upgradation and beautification of Coronation Park at Kingsway Camp that was awarded in 2013.

The tender cost of the work was Rs 14.24 crore but additional works amounting to Rs 114.83 crore was carried out at Narela and Dhirpur, without any sanctions, they said.

The original project cost of Rs 14.24 crore was escalated to Rs 28.36 crore and the same was further deviated with additional work at a different location altogether. This resulted in overall payment of Rs 142.08 crore to the agency. This gross irregularity was pointed out by the CAG in its report in 2016, officials said.

They said the L-G opined that this additional work should have been done through fresh tenders that would have not only saved crores in terms of competitive bidding but also ensured better quality.

"All laid down norms were violated to benefit the contractor in lieu of probable commissions," officials said.

They added that the execution of the additional work in question was approved by the then Chief Engineer (North Zone) on the day of his retirement i.e. October 31, 2014.

The then member (engineering) DDA had "granted in-principle approval" for carrying out additional work amounting for Rs 114. 83 crore, even as awarding any additional work required calling fresh tender, officials said.

They said the L-G expressed "serious displeasure" and issued the order of FIR against erring officials.

Officials quoted an L-G order which said, "I am of the considered view that the entire sequence of events amounts to criminal breach of trust and the angle of corruption cannot be ruled out. Hence, it is directed to register FIR in this case against all concerned officials. A report to be submitted for my perusal within 15 days."